

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-11/2021 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2021/16

दायर दिनांक 22.01.2021

निर्णय दिनांक 18.02.2021

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री पिन्दू कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन (फर्म मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्स विनायक ट्रेडर्स, चावत मार्केट, पुलिस थाने के सामने, भीम, जिला राजसमन्द
2. श्री अशोक कुमार संचेती पुत्र अमरचंद संचेती (फर्म मालिक)
मैसर्स संचेती टी ट्रेडर्स महावीर बाजार ब्यावर जिला अजमेर

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री पिन्दू कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन (फर्म मालिक एवं विक्रेता) जो की किराणा का बेचने का कार्य करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स विनायक ट्रेडर्स, चावत मार्केट, पुलिस थाने के सामने, भीम, जिला राजसमन्द पर दिनांक 25.02.2020 को समय 01.15 पी०एम० पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास खाद्य पदार्थ चाय (तिरंगा) 500 ग्राम के 28 पॉली पैक आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखे हुऐ थे। इसमें मिलावट का शक होने पर, खाद्य पदार्थ चाय (तिरंगा) 500 ग्राम के 4 पॉली पैक वास्ते



(Handwritten signature)

नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 440/- रुपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ चाय (तिरंगा) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा चाय (तिरंगा) 500 ग्राम के 4 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई - 1023 नियमानुसार चारो नमूना सील पर अंकित कर नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2020/823 दिनांक 12.04.2020 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 97/एक्ट/2019/106 दिनांक 05.03.2020 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य चाय (तिरंगा) मिसब्राण्डेड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 18.01.2021 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया कि, उसके द्वारा उक्त चाय (तिरंगा) में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कि



जाती है। उसके द्वारा उक्त चाय (तिरंगा) बाहर से खरीदा जाता है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का चाय (तिरंगा) मिसब्राण्डेड, होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) खाद्य पदार्थ गरम मसाला (विकास) मिसब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री पिन्दू कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स विनायक ट्रेडर्स, चावत मार्केट, पुलिस थाने के सामने, भीम, जिला राजसमन्द एवं श्री अशोक कुमार संचेती पुत्र अमरचंद संचेती (फर्म मालिक) मैसर्स संचेती टी ट्रेडर्स महावीर बाजर ब्यावर जिला अजमेर को राशि 10,000/- रुपये (अक्षरे रूपया दस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

